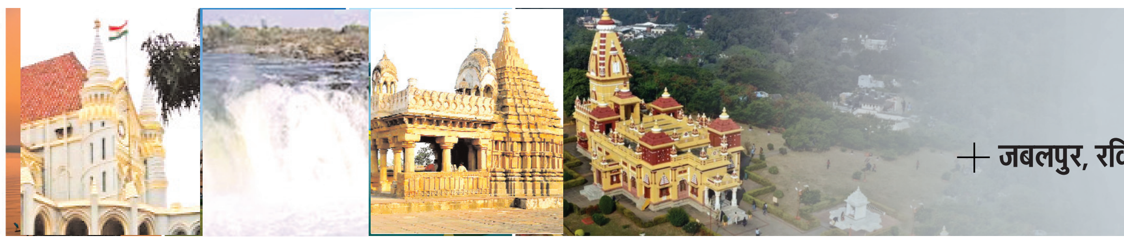

लापरवाही ▶ 20 मिनट देरी से पहुंची पुलिस, एसपी को फोन लगा जताई नाराजगी, बताया जान का खतरा

साजिश के तहत हुआ राज्यसभा सांसद का एक्सीडेंट

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत गोकलपुर लक्ष्मी मंदिर के पास मेन रोड में शुक्रवार देर रात्रि राज्यसभा सांसद की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सफेद रंग की कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस मामले में राज्यसभा सांसद ने पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को फोन लगाया और नाराजगी जाहिर करते हुए जान का खतरा बताया बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि सूचना देने के बाद भी पुलिस 20 मिनट देरी से पहुंची थी। राज्यसभा सांसद ने एक्सीडेंट साजिश के तहत होना बताया है।

जानकारी के मुताबिक राज्य सभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक शुक्रवार को इनोवा कार क्रमांक एमपी 20 जेडई 7788 से अंधमुख बायपास से रांझी जा रही थी। कार को उनका ड्राइवर विलास सेन चला रहा था। कार जैसे ही

शुक्रवार रात्रि 11:30 बजे रांझी गोकलपुर लक्ष्मी मंदिर के पास मेन रोड के पास पहुंची तभी पीछे से एक सफेद रंग की कार के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उनकी कार में टक्कर मार दी। जिससे पीछे का दाहिने तरफ का बम्फर लेग गार्ड कवर क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही हादसे में राज्य सभा सांसद और उनका ड्राइवर सुरक्षित रहे। किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही कार चालक और वाहन मालिक के संबंध में खोजबीन शुरू कर दी है। सीसीटीव्ही फुटेज भी खंगाले जा रहे है।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

राज्य सभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि जब जनप्रतिनिधि के साथ हुए एक्सीडेंट के बाद पुलिस इतनी देरी से पहुंची तो आम नागरिकों की सूचनाओं पर पुलिस कितनी देरी से पहुंचती होगी। अगर हादसा बड़ा होता तो जान को खतरा हो सकता था। रात्रि करीब दो बजे रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के देरी से पहुंचने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी फोन लगाकर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही एक्सीडेंट को साजिश का हिस्सा बताया है।

सूनसान रोड पर टक्कर मारकर कार सवार फरार

राज्य सभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक ने अपनी जान का खतरा होने का संदेह जताते हुए बताया कि जब सफेद रंग की कार ने उनकी कार में टक्कर मारी तो रोड सुनसान थी। टक्कर मारने के बाद कार चालक वाहन को तेज रफ्तार में लहराते हुए तेजी से खमरिया तरफ लेकर भाग गया था। टक्कर मारने के बाद चालक ने कार नहीं रोकी। सूनी रोड में एक्सीडेंट, कार चालक का बिना रूके तुरंत भागना संदेह के दायरे में है। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी लेकिन 20 मिनट देरी से पुलिस पहुंची।

65 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने दिया गणित का पेपर

315 परीक्षा केंद्रों पर हुई कक्षा 5वीं-8वीं की वार्षिक परीक्षा

नवभारत, जबलपुर। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जिले में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शनिवार को परीक्षा के द्वितीय दिवस दोनों कक्षाओं का गणित विषय का पेपर हुआ। जानकारी के अनुसार यह परीक्षा जिले के 63 जन शिक्षा केंद्रों के अंतर्गत 315 परीक्षा केंद्र पर आयोजित हुई। जिसमें 2485 शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों के विद्यार्थियों सहित कक्षा 5वीं के 34,128 और कक्षा 8वीं के 31,005 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, इस प्रकार कुल 65,133 विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान जिला शिक्षा केंद्र से डीपीसी योगेश शर्मा, एपीसी राजेश तिवारी और बीएसी अजय रजक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करते पाए गए। इसके साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय तथा लेखक की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके।

बारहवीं में 73 विद्यार्थी रहे अनुपस्थित

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में शनिवार को बारहवीं कक्षा में कृषि होमसाइंस एकाउंटेंसी का पेपर हुआ। सहायक संचालक आर के बधान से मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा जिले के कुल 75 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 5414 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे, लेकिन 5341 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी, जबकि 73 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। इस परीक्षा में भी कोई नकल प्रकरण सामने नहीं आया।

बिना दस्तावेज चल रहे 3 वाहन जब्त, 97 हजार का जुर्माना वसूला

▶ **संभागीय परिवहन उड़नदस्ता की सख्त कार्यवाही**

नवभारत, जबलपुर। संभागीय परिवहन उड़नदस्ता जबलपुर द्वारा प्रभारी राजेंद्र साहू के नेतृत्व में दस्तावेज़विहीन वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई। बिना वैध अनुज्ञा-पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों के संचालन कर रहे तीन वाहनों को जप्त किया गया। कार्यवाही के दौरान वाहन क्रमांक यूपी 53 ईटी 3227, जीजे 21 वाय 6970 तथा एमएच 40 सीएम 0711 को अभिलेखों के अभाव में रोका गया। जांच उपरांत मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम एवं केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कुल 97,100 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। राजस्व की अदायगी के पश्चात आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित वाहनों को मुक्त किया गया। उड़नदस्ता प्रभारी राजेंद्र साहू ने वाहन संचालकों से सभी दस्तावेज अद्यतन रखने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।

35 वारंटी, 22 शराब तस्करों को दबोचा

जबलपुर। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने कई वर्षो से फरार 2 गैरम्यादी, 33 म्यादी वारंटी, को गिरफ्तार किया गया है एवं 72 जमानती वारंट तामील किये गये तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पिलाने वाले व्यक्तियों सहित, अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 22 व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 207 पाव देशी, अंग्रेजी एवं 35 लीटर कच्ची शराब जप्त की गयी। 3 व्यक्तियो के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 3 चाकू जप्त किये गये। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 46 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 29 हजार 600 रूपये समन शुल्क वसूला गया।

सिहोरा हिंसा : 12 उपद्रवी और गिरफ्तार, 60 को जेल

एक आरोपी पुलिस रिमांड पर, आजाद चौक का माहौल शांतिपूर्ण हुआ

जबलपुर। सिहोरा आजाद चौक में लाउंड स्पीकर के शोर को लेकर गुरूवार देर रात्रि दो समुदाय के बीच हुई हिंसा के बाद माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। आवागमन सामान्य हो गया है। इसके साथ ही पुलिस मामले में अब तक 61 उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। पहली एफआईआर में 49 की गिरफ्तारी हुई जबकि दूसरी कायमी में शनिवार को 12 और उपद्रवी दबोच गए। 60 को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है जबकि एक को पुलिस रिमांड पर लिया गया है जिससे पूछताछ जारी है।

विदित हो कि आजाद चौक में दो अलग-अलग समुदाय के धार्मिक स्थल है। मस्जिद और दुर्गा मंदिर आमने-सामने है। गुरुवार की रात को लगभग 9:30 बजे मंदिर में आरती और मस्जिद में रमजान की नमाज हो रही थी। इस दौरान एक पक्ष ने लाउंड स्पीकर के शोर का विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए। पथराव के साथ तोड़फोड़ हुई। इसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को लाठीचार्ज करने के साथ आश्रु गैस के गोले तक दागने पड़ गए थे। तनाव के चलते 200 का फोर्स तैनात किया गया था।

दुकानें खुली, परीक्षाएं हुई

दो दिन पहले जहां कर्फ्यू जैसे हालात थे वहां अब शांति है। अधिकारियों का कहना है कि सिहोरा में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हालात सामान्य होने के साथ आवागमन शुरू हो गया। बाजार गुलजार हो गया। दुकानें खुलने के साथ रोजमर्रा का जीवन पटरी पर लौटा। इसके साथ ही 5 वीं, 8 वीं की परीक्षाएं भी हुई। एहतियात पुलिस फोर्स तैनात रहा।

उच्च शिक्षा मंत्री अंदर, बाहर विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन

रादुविवि से जुड़े गंभीर मुद्दों का निराकरण नही होने पर विरोध

नवभारत, जबलपुर। प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार शनिवार को मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय तथा शासकीय मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान महिला महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे थे, कार्यक्रम के दौरान होम साइंस कॉलेज के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का घेराव किया गया। कार्यक्रम के बाद बाहर आकर मंत्री परमार प्रदर्शन कर रहे विधार्थियों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद एबीवीपी के विद्यार्थियों ने मंत्री परमार को ज्ञापन सौंपा।

कई बार सौंपा ज्ञापन, नहीं हुआ निराकरण

कार्यकर्ताओं का कहना था कि इन समस्याओं को लेकर पूर्व में कई बार कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा गया, किंतु प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान महाकोशल प्रांत संगठन मंत्री मनोज यादव, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य माखन शर्मा, महानगर मंत्री आर्यन पुंज, महानगर संगठन मंत्री प्रभात तिवारी, प्रांत सह मंत्री अनमोल सोनकर, ऐश्वर्य सोनकर, शोभित मिश्रा, अक्षत ताम्रकार, तृषा पांडेय, पारुल साहू, प्रियंका त्रिपाठी, आर्य राजे सिंह, भास्कर पटेल, प्रफुल तिवारी, दिव्यांक पचौरी, लखन मांझी, तनिष्क पांडे, नयन जैन, सूर्यांश ठाकुर, अनिमेष केवट, यश पटेल, आदि एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्रा उपस्थित रहे।

एनएसयूआई ने भी मंत्री को सौंपा ज्ञापन

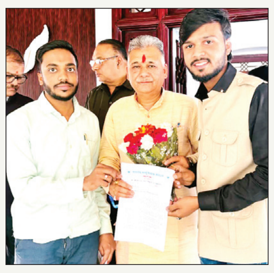

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं इससे न तो समय पर परीक्षाएं आयोजित हो पा रही हैं और न ही परिणाम आ रहे है। छात्रहितो की लगातार अनदेखी की जा रही है विवि की इस कार्य प्रणाली से छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है उक्त आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र संघ चुनाव बहाली की भी मांग की। इस मौके पर छात्र नेता अनुराग शुक्ला, शफी खान, युग ठाकुर, अनिकेत तिवारी, राजीव श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर सख्ती, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की पुन: मांग की

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, कानून मंत्री मध्य प्रदेश शासन, भोपाल तथा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने एवं अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान तथा कल्याण संबंधी लंबित मांगों पर त्वरित कार्यवाही हेतु स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। परिषद के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता ने जानकारी देते हुये बताया कि पूर्व में 15 फरवरी को प्रेषित पत्र के माध्यम से प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अविलंब लागू किये जाने तथा अधिवक्ताओं की सुरुक्षा एवं कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मांगों पर सात दिवस की समय-सीमा निर्धारित करते हुए निर्णय लेने का आग्रह किया गया था। किंतु आज दिनांक तक इस विषय में कोई ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही परिलक्षित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों एवं आपराधिक घटनाओं में निरंतर वृद्धि अत्यंत चिंताजनक है। अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं तथा न्यायिक प्रक्रिया के सुचारु संचालन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत: उनकी सुरक्षा एवं गरिमा की रक्षा करना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। स्मरण पत्र के माध्यम से पुन: मांगों पर शीघ्र निर्णय लिये जाने का आग्रह किया गया।

उठाई गई ये मांगें

प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अविलंब प्रभावी रूप से लागू किया जाये। शासकीय कार्यालयों एवं पुलिस विभाग में अधिवक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु बाध्यकारी आचार संहिता अधिसूचित की जाये।

अधिवक्ताओं हेतु मृत्यु दावा राशि 1 से बढ़ाकर 2 लाख की जाये।

नवीन अधिवक्ताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि 12,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाये।

अधिवक्ताओं हेतु मेडिक्लेम राशि में ययोचित एवं व्यावहारिक वृद्धि की जाये।

अधिवक्ताओं के आवागमन हेतु टोल ट्रैस मुक्त अथवा विशेष परमिट जारी किये जाएं।

विभागीय परीक्षा की तिथि बदली, नए आदेश हुए जारी

जबलपुर, नवभारत। भारतीय रेलवे में ग्रुप बी पदों पर प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अधिकारी बनने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है रेलवे बोर्ड ने विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा पहले 8 मार्च को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब बोर्ड ने इसे स्थगित करते हुए अप्रैल के महीने में कराने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर मनदीप कुमार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब यह मुख्य परीक्षा दो अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने तय किया है कि परीक्षा 12 और 19 अप्रैल को होगी। इसमें व्यवस्था यह रखी गई है कि प्रत्येक विभाग के आधे यानी 50 प्रतिशत उम्मीदवार पहली तारीख को परीक्षा देंगे और बाकी बचे हुए आधे उम्मीदवार दूसरी तारीख को शामिल होंगे। इसके लिए सभी रेलवे जोन और उत्पादन इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों का बंटवारा कर उनकी जानकारी आरआरबी अजमेर को भेज दें, ताकि परीक्षा केंद्रों का इंतजाम समय पर हो सके।

खाली पदों को भरने की तैयारी

यह पूरी प्रक्रिया 2025-26 के तहत खाली होने वाले पदों को भरने के लिए की जा रही है, जिसमें जून 2027 तक की संभावित रिक्तियों को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों को अधिकारी बनने का मौका मिलने वाला है।

प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी पर किया हमला, मामला दर्ज

जबलपुर। गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वंशकार मोहल्ला में प्रेम विवाह से नाराज एक पिता ने अपनी ही बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महर्षि स्कूल के पीछे रहने वाली 18 वर्षीय आरती वंशकार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने लगभग एक सप्ताह पहले अमित वंशकार के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद आरती 18 फरवरी को अपने मायके आई थी।

स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मण्डलों के सभी स्टेशनों पर स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में, जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडलों में गंदगी फैलाने वाले यात्रियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 कुल दस माह में गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 14,589 व्यक्तियों के मामले पकडे गए, जिनसे कुल 29 लाख 60 हजार 340 रूपये जुर्माना वसूला गया। अकेले माह जनवरी 2026 में गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 1095 व्यक्तियों के मामले पकडे गए, जिनसे कुल 02 लाख 25 हजार 200 रूपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुर्माने के साथ साथ ऐसे लोगों को समझाईश भी दी जाती है। साथ ही गंदगी से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए स्टेशन परिसर स्वच्छ रखने के लिए अनुरोध भी किया जाता है।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता और कार्यवाही

रेल प्रशासन द्वारा स्टेशनों और रेलगाड़ियों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ उद्घोषणाओं के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। यात्रियों को स्टेशन परिसर साफ रखने, धूम्रपान न करने और कूड़ा न फैलाने की समझाइश दी जाती है। बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेल परिसर में कृपया गंदगी न फैलाएं। स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में रेल प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों का सहयोग करें। गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध यह जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

50 लाख की डिमांड कर नवविवाहिता को घर से निकाला

दहेज लोभी पति, ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज

जबलपुर। गोहलपुर थाना अंतर्गत दमोहनाका में रहने वाली नवविवाहिता को दहेज लोभियों ने 50 लाख रूपए की डिमांड कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति, ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक शनिवार को श्रीमति दीपाली साहू 28 वर्ष निवासी कुचैनी परिसर दमोहनाका ने लिखित शिकायत की कि उसका विवाह ऋषभ जैन निवासी कुचैनी परिसरर दमोहनाका के साथ 13 दिसम्बर 24 को हुआ था उसका प्रेम विवाह हुआ था विवाह में उसकी मॉ ने अपनी सामर्थता के अनुसार सोने के जेवर एवं अन्य सामान उपहार स्वरूप दिये थे परंतु पति ऋषभ जैन एवं ससुर राजेन्द्र जैन इस शादी से संतुष्ट नहीं थे शादी के बाद कम दहेज मिलने के कारण पति उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगा, उसने अपनी मॉ को बतायी थी, मॉ एवं भाई ने पति एवं ससुर को समझाया तो पति और ससुर दहेज में 50 लाख रूपये की मांग करने लगे, मई 2025 में मारपीट करके उसे भगा दिया। लिखित शिकायत पर आरोपी पति ऋषभ जैन एवं ससुर राजेन्द्र जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

जायजा ▶ स्वच्छता के मामले में नहीं होगी लापरवाही बर्दाश्त

निगमायुक्त ने सड़कों पर उतरकर देखी सफाई व्यवस्था

नवभारत, जबलपुर। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत शनिवार सुबह से ही वे शहर की सड़कों पर उतरे और सफाई व्यवस्था देखी। और शहर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों का सघन दौरा कर स्वच्छता अभियान का जमीनी निरीक्षण किया। इस मौके पर निगमायुक्त ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं में कसावट लाने के आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने रामपुर एवं गोरखपुर रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में कचरा संग्रहण की स्थिति देखी। वहीं मेडिकल क्षेत्र में अस्पताल के आस-पास की स्वच्छता और विशेष सफाई अभियान का अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने अंधमुक बायपास एवं धनवंतरी नगर में मुख्य सड़कों और डिवाइडरों की सफाई का जायजा लिया। इस मौके पर निगमायुक्त ने कहा कि स्वच्छता के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हमारे और आपके लिये सिंगल यूज प्लास्टिक है दुश्मन : निगमायुक्त

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025-26 के अंतर्गत शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप शहर को स्वच्छ, सुंदर और जलजमाव की समस्या से मुक्त बनाने के लिए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने एक विशेष जन-जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने नागरिकों से भावुक अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे अपनी जीवनशैली से बाहर निकालकर ही हम एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। निगमायुक्त ने बताया

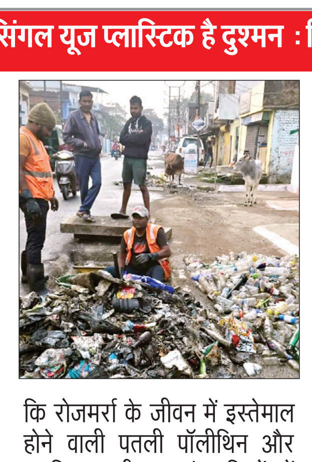

कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली पतली पॉलीथिन और प्लास्टिक की वस्तुएं नालियों में जाकर फंस जाती हैं। जिससे घरों से निकलने वाले गंदे पानी का बहाव रुक जाता है और रुका हुआ पानी मच्छरों और बैक्टीरिया का घर बन जाता है। यह प्लास्टिक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी खत्म करता है और पशुओं के लिए जानलेवा साबित होता है। निगमायुक्त ने नागरिकों से अनुरोध करते हुए बताया है कि प्लास्टिक का त्याग केवल निगम का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब आप कपड़े का थैला साथ लेकर निकलेंगे, तो आप केवल सामान नहीं, बल्कि शहर का सम्मान लेकर घर लौटेंगे।